

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)
संस्कृत विभाग के संस्कृत विश्वविद्यालय

(परीक्षा विभाग द्वारा 2009 क्रमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, क्रमांक 25 के अतिगत स्थापित कानूनी परिवर्तन),
GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)
(Central University Act, 2009 No.25 of 2009)

(A Central University established by the Central Universities Act., 2009 No.25 of 2009)
Web Site – www.ggu.ac.in, ph. No. 07752-260342, fax No. 07752-260148,154

क २९५ / अका. / शोध / प्राणी विज्ञान / 2020

बिलासपुर, दिनांक ८-०१-२०२१

प्रति,

Ramraj Singh Navak (शोधार्थी)

Ranraj Singh

गरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छोगो)

(पंजीकृत डाक द्वारा)

विषय:- यू.जी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनिमय, 2016 के प्रावधानानुसार पीएचडी० उपाधि के लिए पंजीयन।

प्रावधानानुसार पाएंचूडा० उपाय के १८-०८-२०२०
विभागीय शोध समिति की बैठक दिनांक 18-08-2020 में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शोध
कार्य हेतु (विषय) प्राणी विज्ञान विद्यापीठ - जीवविज्ञान में आपका पंजीयन सक्षम संस्तुति उपरान्त निम्नानुसार
किया जाता है:-


किया जाता है:-			
शोध का विषय शीर्षक	शोध निर्देशक		
Role of gut microbiota in the regulation of obesity and related disorders	Dr. Rohit Seth, Associate Professor, Dept. of Zoology Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)		
शोध केन्द्र	पंजीयन क्रमांक	पंजीयन तिथि	नामांकन क्रमांक
Dept. of Zoology Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)	185113502	18-08-2020	GGV/18/3356

1. आप यूजी.सी. (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016 के प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश एवं विनियम में उल्लिखित नियमों के अनुसार पीएच.डी. शोध कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय शोध विनियम 2018 के नियमन R-11 के अनुसार शोध पंजीयन तिथि से प्रति छःमाही प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति का लेखा शोध निर्देशक / RAC द्वारा अनुशंसित एवं DRC/Dean के संस्तुति / अनुमोदन के पश्चात जमा करना होगा। यदि निरंतर दो सेमेस्टर प्रतिवेदन असंतोषजनक पाये गये अथवा एक वर्ष तक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ तो शोध-पंजीयन स्वयमेव निरस्त हो जायेगा। शोधग्रन्थ प्रस्तुत करने की तिथि से लगभग एक माह पूर्व छः प्रतियों में शोधग्रन्थ का सार संक्षेप (समरी) शोध निर्देशक के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

कमशः १

2. यह पंजीयन छः वर्ष तक जीवित रहेगा तथा पंजीयन तिथि से छः वर्ष के भीतर शोधार्थी द्वारा शोध ग्रंथ जमा नहीं करने पर पंजीयन छः वर्ष उपरान्त स्वतः निरस्त हो जावेगा। शोध पंजीयन अवधि में वृद्धि विश्वविद्यालय शोध विनियम -2018 के नियमन R-10 के अधीन रहेगा।
3. शोध ग्रंथ प्रस्तुतीकरण/प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 5000/- (परिवर्तनीय) विश्वविद्यालय कोष में चालान के द्वारा देय होगा।
4. शोध विनियम के प्रावधानानुसार शोधार्थी को निर्धारित समयावधि में शोधग्रंथ प्रस्तुत करना होगा। छःमाही प्रगति प्रतिवेदन एवं शोधग्रंथ जमा करना शोधार्थी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में स्मरण नहीं कराया जायेगा।
5. शोधार्थी का पंजीयन एवं शोध कार्य विश्वविद्यालय के शोध विनियम -2018 के अधीन होगा। अतः शोधार्थी को यह सलाह दी जाती है कि विश्वविद्यालय शोध विनियम -2018 के प्रावधानों का भी भली-भांति अध्ययन कर लेवें।

आदेशानुसार,



सहा. कुलसचिव (अका.)

बिलासपुर, दिनांक ४-०१-२०२१

क्रमांक २९६/अका०/शोध/ प्राणी विज्ञान /2020

प्रतिलिपि:-

1. शोध निर्देशक- Dr. Rohit Seth, Associate Professor, Deptt. of Zoology, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.) को इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि वे ऊपर लिखित शोध अध्यादेश/विनियम के प्रावधानानुसार संलग्न प्रारूप में शोध छात्र का प्रत्येक सेमेस्टर छःमाही प्रगति प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में अलग से पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
2. विभागाध्यक्ष/शोध केन्द्र- प्राणी विज्ञान विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ०ग० की ओर सूचनार्थ।
3. सहायक कुलसचिव, गोपनीय शाखा की ओर सूचनार्थ।
4. ग्रंथपाल, केन्द्रीय ग्रंथालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
5. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर सार्इस एण्ड सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर वेब पटल पर अपलोड किये गये सूची में शामिल करने हेतु प्रेषित।
6. संबंधित नस्ती प्रति।


सहा. कुलसचिव (अका.)
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)